न्यायमूर्ति जी. एस. सिंघवी और निर्मल सिंह के समक्ष

भोरोका पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-उत्तरदाता

1999 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 14,615

03 जुलाई, 2000

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14, 15, *16 & 226—समानता का सिद्धांत-हरियाणा सरकार निजी क्षेत्र द्वारा बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए नीति बना रही है-हरियाणा राज्य ऊर्जा विकास एजेंसी (हरेडा) ने लघु पनबिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए केवल निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं-याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 3 दादुपुर स्थल के लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं-प्रतिवादी संख्या 3 विज्ञापन के संदर्भ में ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करने का हकदार नहीं है-उच्च शक्ति प्राप्त समिति (एच. पी. यू.) याचिकाकर्ता को स्थान के आवंटन की सिफारिश करती है-राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित एच. पी. यू. की सिफारिशों के बाद याचिकाकर्ता को आशय पत्र जारी* करना-सरकार द्वारा *अपने निर्णय की समीक्षा करना और याचिकाकर्ता को बिना किसी सूचना या सुनवाई के अवसर के स्थान के आवंटन को रद्द करने का आदेश देना-सरकार का निर्णय प्रतिवादी संख्या 3 को दादुपुर स्थल आवंटित करने का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14 का और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध हैं और रद्द किए जाने योग्य-रिट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में किए गए स्थान के आवंटन को रद्द करने के सरकार के निर्णय को अवैध घोषित करने की अनुमति दी।*

माना जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 में निहित समानता के सिद्धांत के विभिन्न आयाम हैं।अनुच्छेद 14 घोषणा करता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को भारत के क्षेत्र के भीतर कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता प्रदान करता है।मोटे तौर पर समान संरक्षण का अर्थ है समान परिस्थितियों में समान व्यवहार का अधिकार, प्रदान किए गए विशेषाधिकारों और लगाए गए दायित्वों दोनों में।

(पैरा 15)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि स्थलों के आवंटन में भागीदारी के लिए पात्रता का क्षेत्र हरेडा द्वारा जारी विज्ञापन की सरल भाषा द्वारा निर्धारित किया जाता है जो निजी क्षेत्र तक ही सीमित था और इसलिए, प्रतिवादी संख्या 3 दादुपुर स्थल के आवंटन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का हकदार नहीं था।यदि सरकार अनुबंध देने की प्रक्रिया में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी चाहती थी, तो उसे हरेडा को विज्ञापन वापस लेने या कम से कम उसमें संशोधन करने का निर्देश देना चाहिए था ताकि प्रतिवादी संख्या 3 जैसी कंपनियों को प्रस्ताव प्रस्तुत करने में सक्षम बनाया जा सके।मान लीजिए कि ऐसा नहीं किया गया था और फिर भी सरकार ने एच. पी. सी. की सिफारिशों को मंजूरी देने के अपने पहले के फैसले को पलटते हुए, प्रतिवादी संख्या 3 को दादुपुर स्थल के आवंटन का निर्देश दिया, जिसके परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 14 में

निहित समानता के सिद्धांत के असमान और परिणामी उल्लंघन को समान रूप से माना गया।

(पैरा 17)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता के पक्ष में किए गए आवंटन को रद्द करने के लिए सरकार द्वारा लिया गया निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर रद्द किया जा सकता है।स्थल के आवंटन को रद्द करने का आदेश देने से पहले, राज्य सरकार याचिकाकर्ता को नोटिस और सुनवाई का अवसर देने के लिए बाध्य थी, जो यह दिखा सकता था कि प्रतिवादी संख्या 3 दादुपुर स्थल के आवंटन में भाग लेने के लिए पात्र नहीं था और यह कि निर्णय

एच. पी. सी. द्वारा लिया गया सही था।हालाँकि, प्राकृतिक न्याय की मूल बातों का पालन करने में सरकार की विफलता के कारण, वह उस अवसर का लाभ नहीं उठा सकी।इस प्रकार, इस निष्कर्ष से बचने की कोई गुंजाइश नहीं है कि विवादित निर्णय *ऑडी अल्टरम पार्टेम के* नियम का उल्लंघन है और इसे उस आधार पर रद्द किया जा सकता है।

बहस

(पैरा 23)

राजीव आत्मा राम, अधिवक्ता-याचिकाकर्ता *की ओर से।*

जसवंत सिंह, उप महाधिवक्ता, हरियाणा प्रतिवादीगण संख्या 1 और 2 के लिए।

अमरजीत सिंह, प्रतिवादी नं. 3 के वकील।

एन. एस. बोपाराई, प्रतिवादी संख्या 4 के वकील।

फैसला

माननीय जी. एस. सिंघवी, जे.

(1) क्या दादुपुर पश्चिमी यमुना नहर (निचला) की नहर के पानी पर छोटी पनबिजली परियोजनाओं के विकास के लिए हरजाना राज्य ऊर्जा विकास एजेंसी (हरेडा) द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में आवंटन किया गया है, क्या सुनवाई का अवसर दिए बिना संचालन और अपने आधार को रद्द किया जा सकता है और क्या उक्त स्थान हरियाणा पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (प्रतिवादी संख्या 3) को आवंटित किया जा सकता है, भले ही वह हरेडा द्वारा जारी विज्ञापन के संदर्भ में प्रस्ताव प्रस्तुत करने का हकदार नहीं था, ये ऐसे प्रश्न हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस याचिका में निर्धारण के लिए उठते हैं।

पृष्ठभूमि:

(2) बिजली क्षेत्र में सुधार और विकास के प्रयासों का समर्थन करने के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाएः—

(i) वर्ष 1997 में, राज्य सरकार ने हरियाणा राज्य विद्युत सुधार विधेयक पेश किया जिसे 22 जुलाई, 1997 को विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था, जिसके

परिणामस्वरूप हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड को चार निगमों में विभाजित किया गया था, जिनमें से दो विशेष रूप से बिजली के उत्पादन और संचरण से संबंधित थे।

(ii) मई, 1997 में,हरियाणा राज्य गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग के अधीन हरेडा की स्थापना गैर-पारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं को लागू करने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी।

(iii) 12 नवंबर, 1997 को सरकार ने बिजली क्षेत्र के पुनर्गठन और विकास कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं से संबंधित विस्तृत नीति विवरण जारी किया।उक्त नीति विवरण के पैराग्राफ 10 से 14 को नीचे पढ़ा गया हैः—

"विद्युत क्षेत्र की नई संरचनाः

10. कार्यात्मक विशेषज्ञता, विकेंद्रीकरण, स्वायत्तता और निर्णय लेने में जवाबदेही को प्रोत्साहित करने के लिए बिजली क्षेत्र का पुनर्गठन किया जाएगा; निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए; उत्पादन और वितरण में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए; और इस क्षेत्र का एक प्रभावी, कुशल और स्वतंत्र विनियमन सुनिश्चित करने के लिए नई बिजली कंपनियां एक प्रोत्साहन ढांचे के भीतर काम करेंगी जो दक्षता को बढ़ावा देती हैं और कंपनियों और उनके कर्मचारियों को उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के लिए जवाबदेह बनाती हैं।

12. वर्तमान में ऊर्ध्वाधर रूप से किए जा रहे कार्य एकीकृत एच. एस. ई. बी. को अलग-अलग उत्पादन, पारेषण और वितरण कंपनियों में विभाजित किया जाएगा।एच. एस. ई. बी. के मौजूदा उत्पादन स्टेशनों को एक अलग बिजली उत्पादन कंपनी (जी. ई. एन. सी. ओ.) के तहत समूहीकृत किया जाएगा।बिजली का पारेषण एक अलग पारेषण कंपनी (ट्रांस्को) को सौंपा जाएगा।बिजली वितरण कई स्वतंत्र बिजली वितरण कंपनियों को सौंपा जाएगा।उपभोक्ताओं के लाभ के लिए इस क्षेत्र की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ बिजली उपयोगिताओं के संचालन को विनियमित करने के लिए एक राज्य बिजली नियामक आयोग का गठन किया जाएगा।

बिजली उत्पादनः

13. मौजूदा पानीपत और फरीदाबाद ताप विद्युत केंद्र और पश्चिमी यमुना नहर पनबिजली परियोजना (चरण-II सहित जो निर्माणाधीन है) को 'हरियाणा पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड' (एच. पी. जी. सी. एल.) नामक एक नई पीढ़ी की कंपनी को हस्तांतरित किया जाएगा।यह कंपनी राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में अपना परिचालन शुरू करेगी।बाद में राज्य सरकार इस कंपनी में निजी क्षेत्र की भागीदारी को आमंत्रित कर सकती है। यह कंपनी वाणिज्यिक सिद्धांतों पर काम करेगी। यह कंपनी पारेषण कंपनी को बिजली बेचेगी जो वितरण कंपनियों को आगे की बिक्री करेगी ।यह कंपनी पहले से ही भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत है।

14. हरियाणा सरकार ने बिजली उत्पादन में कोई बड़ा नया निवेश नहीं करने का फैसला किया है।भविष्य में हरियाणा में नई बिजली उत्पादन परियोजनाओं को या तो स्वतंत्र बिजली उत्पादकों (आई. पी. पी.) द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आई. सी. बी.) के माध्यम से चयनित, केंद्रीय उत्पादन निगमों द्वारा या निजी दलों, अन्य राज्यों या केंद्रीय उपक्रमों के साथ संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा इक्विटी भागीदार के रूप में विकसित किया जाएगा।सभी उत्पादन कंपनियां स्वामित्व संरचना के आधार पर बिना किसी भेदभाव के प्रतिस्पर्धी वातावरण में काम करेंगी।"

(iv) अधिसूचना संख्या 2/1/94-1 एम. आई. पी., दिनांक 31 जुलाई, 1996 के स्थान पर, सरकार ने 8 जनवरी, 1998 को अधिसूचना जारी की, जिसमें हरियाणा में गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों (सौर, पवन, लघु-लघु पनबिजली, जैव-द्रव्य सह-उत्पादन, अपशिष्ट पुनर्चक्रण) के माध्यम से बिजली उत्पादन के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों को रेखांकित किया गया।

(v) *नोइटिफिकेशन* नं. डी. एन. ई. एस./98/पी. ओ. आई. लाईसी/4394, दिनांक 3 नवंबर, 1998 को हरियाणा के राज्यपाल ने एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एच. पी. सी.) का गठन किया, जिसमें हरियाणा के मुख्य सचिव अध्यक्ष के रूप में; वित्त विभाग के सचिव; स्थानीय निकाय विभाग के सचिव; बिजली विभाग के सचिव; सिंचाई विभाग के सचिव सदस्य के रूप में और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग के सचिव सदस्य संयोजक के रूप में तकनीकी मूल्यांकन समिति (टी. ए. सी.) की रिपोर्ट पर विचार करने, सूक्ष्म/लघु पनबिजली, बायोमास और ऊर्जा के लिए अपशिष्ट के क्षेत्र में प्राप्त निवेश प्रस्तावों को सूचीबद्ध करने और प्राथमिकता देने और उसके बाद निजी निवेशकों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए स्थलों के आवंटन की सिफारिश करने के लिए शामिल थे।उस समिति को एन. ई. एस. परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी की नीति के कार्यान्वयन से संबंधित सभी पहलुओं पर सुझाव/सिफारिशें करने के लिए एक स्थायी समिति भी घोषित किया गया था।यह मूल्यांकन मानदंड, एन. ई. एस. नीति में परिवर्तन या परियोजना के कार्यान्वयन में सीधे शामिल संबद्ध विभागों के सरकारी दिशानिर्देशों में परिवर्तन के बारे में सुझाव देने के लिए भी अधिकृत था।

(vi) तीन चिन्हित क्षेत्रों में निजी क्षेत्र द्वारा बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया में निम्नलिखित कदमों की परिकल्पना की गई हैः—

"(क) हरेडा प्रेस विज्ञापन के माध्यम से निजी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से प्रस्ताव आमंत्रित करेगा।

(b) हरेडा ने तकनीकी और वित्तीय क्षमताओं के संदर्भ में प्रस्तावों/बोलियों का मूल्यांकन करने, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता की जांच करने के लिए एक तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीएसी) का गठन किया है।टीएसी प्रस्तावों के पूरक के लिए बोलीदाताओं से कोई भी अतिरिक्त जानकारी लेने के लिए अधिकृत है।

(c) हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है जो तकनीकी मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट पर विचार करेगी, निवेश प्रस्तावों को प्राथमिकता देगी और निजी निवेशकों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी. पी. आर.) तैयार करने के लिए स्थलों के आवंटन की सिफारिश करेगी।

(d) स्थल आवंटन पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों को मंजूरी के लिए मंत्रिपरिषद को भेजा जाता है।

(e) मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद, हरेडा द्वारा अपनी मंजूरी के लिए डी. पी. आर. तैयार करने और परियोजना की स्थापना के लिए हरेडा निजी निवेशकों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा।"

मामले के तथ्यः

(3) राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई उपर्युक्त नीति के अनुसरण में, हरेडा ने दादुपुर पश्चिमी यमुना नहर सहित 10 स्थानों पर हरियाणा की नहर के पानी पर लघु पनबिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए।(निचला) (यमुना नगर), बलियाला फॉल टोहाना (बीएमबी और बीएमएल) (तालाब आधारित) आरडी 538640 (टोहाना) और गोगरीपुर फॉल (डब्ल्यूजेसी) करनाल (तालाब सहित)।विज्ञापन का प्रासंगिक उद्धरण (अनुलग्नक पी. 3) नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः—

"हरियाणा राज्य ऊर्जा विकास एजेंसी

हरेडा

निजी *क्षेत्र की भागीदारी के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है (निजी)*
Bडेवलपर्स/ प्रमोटर/ कंसोर्टियम दोनों घरेलू/ विदेशी)

हरियाणा के नहर के। पानी पर लघु पनबिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए आधार (बी. ओ. ओ.) बनाएँ, संचालित करें और स्वयं बनाएँ।

संभावित स्थल इस प्रकार हैंः

श्री. नहीं।	साइटों के नाम	शिरा मीटर में	निर्वहन क्यूमेक्स	अनुमानित क्षमता (केडब्ल्यू में)
1.	दादुपुर पश्चिमी यमुना नहर (निचला) (यमुना नगर)	3.5	140.00	400
xx		xx		xx
4.	बलियाला फॉल टोहाना (बीएमबी और बीएमएल) (तालाब आधारित) आरडी 538640 (टोहाना)	3.60	60.00	1700
xx		xx		xx

6.	गोगरीपुर झरना (डब्ल्यूजेसी) करनाल (तालाब सहित)।	2.2	55.00	1000
xx		xx		xx "

(4) दादूपुर स्थान के लिए, याचिकाकर्ता, प्रतिवादी संख्या 3 और मैसर्स सोफिमेट, फ्रांस (प्रतिवादी संख्या 4) सहित पांच प्रस्ताव प्राप्त हुए।बलियाला फॉल के लिए, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों और गोगरीपुर स्थल के लिए, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत दो प्रस्तावों सहित तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए।इन प्रस्तावों का मूल्यांकन मुख्य अभियंता (एम. एम.) हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की अध्यक्षता में सरकार द्वारा स्थापित टी. ए. सी. द्वारा किया गया था। 18 जनवरी, 1999 को आयोजित एच. पी. सी. की बैठक में टी. ए. सी. की रिपोर्ट पर विचार किया गया।एच. पी. सी. ने पाया कि टी. ए. सी. की सिफारिशों में विसंगति थी, क्योंकि जिस कंपनी को छोटी पनबिजली परियोजनाओं के क्षेत्र में पिछला अनुभव नहीं था, उसे रैंकिंग के क्रम में क्रम संख्या 1 पर रखा गया है, जबकि छोटी पनबिजली परियोजनाओं को निष्पादित करने का प्रासंगिक अनुभव रखने वाली अन्य कंपनियों को रैंकिंग में निम्न स्तर पर रखा गया है।इस परिसर में, टीएसी को प्रस्तावों का पुनर्मूल्यांकन करने और नई सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।टीएसी द्वारा अपने पहले के मूल्यांकन पर पुनर्विचार करने के बाद तैयार की गई दूसरी रिपोर्ट में समग्र रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया था।17 फरवरी, 1999 को आयोजित अपनी बैठक में इस पर विचार करने के बाद, एचपीसी ने कहा किः—

(i) रिपोर्ट अत्यधिक भ्रमित करने वाली और भ्रामक थी।

(ii) **वर्तमान प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय इन मानकों को दिए गए मूल्यांकन मानदंड और महत्व पहले विज्ञापन के जवाब में प्राप्त समान प्रकार के प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय टीएसी द्वारा अपनाए गए मानकों से अलग हैं।**

(iii) **मानदंड में परिवर्तन इसकी मंजूरी के बिना था।**

(5) **उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, एच. पी. सी. ने मापदंडों के मूल्यांकन के लिए एक समान मानदंड का सुझाव देने के लिए एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का गठन करने का निर्णय लिया और टी. ए. सी. को नए मानदंडों के आलोक में प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए कहा गया।उच्च स्तरीय तकनीकी समिति ने नए मानदंड सुझाए जिन्हें एच. पी. सी. द्वारा 1 अप्रैल, 1999 को अनुमोदित किया गया था।इसके बाद, टी. ए. सी. ने नया मूल्यांकन किया और एच. पी. सी. को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। दादुपुर स्थल के लिए, इसने प्रतिवादी संख्या 3, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 4 को क्रमशः क्र. संख्या 1,2 और 3 पर रखा।बलियाला फॉल के साथ-साथ गोगरीपुर स्थलों के लिए, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 4 को संख्या 1 और 2 पर रखा गया था।**

(6) **मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 5 अप्रैल, 1999 को हुई एच. पी. सी. की बैठक में टी. ए. सी. की रिपोर्ट पर विचार किया गया और दादुपुर, बलियाला जलप्रपात और गोगरीपुर स्थलों के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए गएः**

"समिति ने सूक्ष्म/लघु पनबिजली परियोजनाओं के लिए तकनीकी मूल्यांकन समिति की सिफारिशों

पर चर्चा की और विस्तृत चर्चा के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

1. **दादुपुर (साइट नं. 1) लगभग, संभावित क्षमता 4 मेगावाट**

इस साइट के लिए, विभिन्न उत्तरदायी प्रस्तावों की टीएसी रैंकिंग निम्नानुसार थी:

		अंक
1 एचपीजीसीएल	:	69
2 भोरुका पावर कॉरपोरेशन	:	54
3 सॉफिमेट फ्रांस	:	52
4 मंगलम एनर्जी कॉरपोरेशन	:	36
5 वैली पावर कॉरपोरेशन	:	23

समिति द्वारा यह देखा गया कि हरियाणा सरकार ने 12 नवंबर, 1997 को एक विस्तृत नीति वक्तव्य जारी किया है, जिसके तहत यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य मेंहरियाणा में नई बिजली उत्पादन परियोजनाओं को या तो स्वतंत्र बिजली उत्पादकों द्वारा या निजी दलों के साथ संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा विकसित किया जाएगा।12 नवंबर, 1997 को जारी नीति विवरण का प्रासंगिक उद्धरन पढ़े:

"हरियाणा सरकार ने बिजली उत्पादन में कोई बड़ा नया निवेश नहीं करने का फैसला किया है।भविष्य में, हरियाणा में नई बिजली उत्पादन परियोजनाओं को या तो स्वतंत्र बिजली उत्पादकों (आई. पी. पी.) द्वारा विकसित किया जाएगा, जिनका चयन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आई. सी. बी.) के माध्यम से किया जाएगा।"

राज्य के उपरोक्त नीतिगत निर्णय को ध्यान में रखते हुए, समिति का यह विचार कि उपरोक्त परियोजना के निष्पादन के लिए एच. पी. जी. सी. एल. पर विचार करना उचित नहीं होगा।यह साइट उस कंपनी को दी जा सकती है जिसे रैंकिंग के क्रम में क्रम संख्या 2 पर रखा गया है। (भोरुका पावर कॉर्पोरेशन)।

2. *बलियाला (साइट नं. 4) लगभग, संभावित 1.7 मेगावाट और गोगरीपुर (साइट संख्या। 6) लगभग, संभावित 1 मेगावाट* इन स्थलों के लिए, विभिन्न उत्तरदायी परियोजना प्रस्तावों की टीएसी रैंकिंग निम्नानुसार थी:

अंक

1. मेसर्स भोरुका पावर कार्पोरेशन।54

2. मेसर्स सोफिमेट, फ्रांस 42

3. मेसर्स इनोवेटिव पावर टेक।20

गोगरीपुर

1. मेसर्स भोरुका पावर कार्पोरेशन।54

2. मेसर्स सोफिमेट, फ्रांस 52

हालांकि, मेसर्स भोरुका पावर कॉर्पोरेशन को बलियाला और गोगरीपुर स्थलों की रैंकिंग के क्रम में नंबर 1 पर रखा गया।लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस कंपनी को पहले ही दादुपुर स्थल के आवंटन के लिए सिफारिश की जा चुकी है, तीन स्थलों के अलावा जहां इसे चरण-1 के तहत आवंटित किया गया था, समिति ने निर्णय लिया कि बल्लियाला और गोगरीपुर स्थलों की पेशकश कंपनी को क्रम संख्या 2 पर रखी जा सकती है, जो कि मैसर्स सोफिमेट, फ्रांस की रैंकिंग के क्रम में है क्योंकि एक ही कंपनी को और अधिक स्थलों के आवंटन से इन परियोजनाओं के निष्पादन में देरी हो सकती है।

(7) इसके बाद 16 अप्रैल, 1999 को हुई बैठक में इस मामले को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा गया, जिसने एचपीसी की सिफारिशों को मंजूरी दी। इसके बाद, निदेशक, हरेडा ने दादुपुर स्थल के संबंध में याचिकाकर्ता के पक्ष में 30 अप्रैल, 1999 को आशय अनुबंध पी. 6 जारी किया और इसकी प्राप्ति पर, याचिकाकर्ता ने 500 करोड़ रुपये जमा किए। 8 लाख रुपये की दर से प्रसंस्करण शुल्क के रूप में। 200 प्रति किलोवाट (गैर-वापसी योग्य)।इसके बाद, हरदा, राज्य सरकार और याचिकाकर्ता के बीच 7 जून, 1999 को एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें निर्धारित शर्तों के अधीन निर्माण, संचालन और स्वयं के आधार पर परियोजना की स्थापना की गई थी।

(8) समझौता ज्ञापन के खंड 15 के संदर्भ में, याचिकाकर्ता 4 महीने के भीतर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी. पी. आर.) प्रस्तुत कर सकता था, लेकिन *उसने* समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के डेढ़ महीनों के भीतर ऐसा किया। एमओयू के खंड 16 के आलोक में हरेडा के अधिकारियों द्वारा डी. पी. आर. की जांच की गई और 30 जुलाई, 1999 को एक कार्यालय नोट तैयार किया गया जिसमें निम्नलिखित कदमों का सुझाव दिया गयाः

(क) डी. पी. आर. की प्रतियां हरियाणा सिंचाई विभाग, एच. वी. पी. एन. और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग (एम. एन. ई. एस.), भारत सरकार को सिविल कार्यों और नहरों और विभिन्न विद्युत-यांत्रिक उपकरणों की सुरक्षा के संबंध में उनकी राय/टिप्पणियों के लिए भेजी जाएंः

'(ख) सिंचाई विभाग, एच. वी. पी. एन. एल. और एम. एन. ई. एस. की टिप्पणियां, यदि कोई हों, तो याचिकाकर्ता को एक महीने के भीतर अंतिम डी. पी. आर. में शामिल करने के लिए और वित्त आयुक्त और सरकार के सचिव को भेजी जाएं। हरियाणा, गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग-सह-अध्यक्ष, हरियाणा ने विचार और अनुमोदन किया।इसलिए, इसे हरियाणा सरकार के प्रभारी मंत्री (एन. ई. एस.) के समक्ष विचार

और अनुमोदन के लिए रखा जाए और प्रभारी मंत्री की मंजूरी के बाद, याचिकाकर्ता को जगह आवंटित की जाए।

(9) हालाँकि, जब निदेशक, हरेडा ने हरेडा के अध्यक्ष द्वारा विचार के लिए अंतिम नोट तैयार किया, तो उन्होंने दर्ज किया कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में इस परियोजना के बारे में कुछ टिप्पणियां की थीं और इसलिए, उन्हें फाइल प्रस्तुत करना उचित होगा।हरेडा के अध्यक्ष ने निदेशक के नोट को मंजूरी दी।इसलिए, फाइल को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया, जिन्होंने मामले की फिर से जांच करने के लिए वित्त मंत्री, उद्योग मंत्री और सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य मंत्री की एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया।मंत्रिमंडल उप-समिति के तीन सदस्यों में से दो की बैठक 9 सितंबर, 1999 को हुई और मामले पर पुनर्विचार करने पर उन्होंने कहा कि टीएसी ने उच्च स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा तैयार किए गए मानदंडों के आधार पर प्रस्तावों का सही मूल्यांकन किया था।उन्होंने आगे कहा कि प्रत्यर्थी संख्या 3 का नाम, जिसे रैंकिंग के क्रम में नंबर 1 पर रखा गया था, एचपीसी द्वारा इस आधार पर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए था कि सरकार ने विश्व बैंक को बिजली उत्पादन में कोई बड़ा नया निवेश नहीं करने के लिए प्रतिबद्ध किया था क्योंकि 4 मेगावाट की परियोजना को उक्त प्रत्यर्थी द्वारा आसानी से निष्पादित किया जा सकता था।समिति ने यह भी राय दी कि परियोजना को हरेडा द्वारा जारी विज्ञापन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था और इसे प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा विभागीय रूप से लिया जा सकता था।समिति ने निष्कर्ष निकाला कि एचपीसी द्वारा दादुपुर, बलियाला और गोगरीपुर के तीन स्थलों के संबंध में लिया गया निर्णय मनमाना था और इसलिए, सभी आवंटन रद्द किए जा सकते हैं।मंत्रिमंडल उप-समिति की रिपोर्ट को मंत्रिपरिषद ने स्वीकार कर लिया।इसके बाद, निदेशक, हरेडा ने याचिकाकर्ता के पक्ष में किए गए दादुपुर स्थल के आवंटन को रद्द करने और प्रतिवादी संख्या 3 को उसके आवंटन के लिए दिनांक 30.9.1999 का ज्ञापन अनुलग्नक पी. 12 जारी किया।

(10) याचिकाकर्ता ने इस आधार पर विवादित संचार को रद्द करने का अनुरोध किया है कि यह बाहरी विचार पर आधारित है और *दुर्भावनापूर्ण है* और इस आधार पर भी कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में निहित समानता के सिद्धांत के उल्लंघन के कारण दूषित है।इसने सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को अमान्य करने के लिए वादा रोकने के सिद्धांत को भी लागू किया है।

(11) प्रतिवादीगण संख्या 1 और 2 ने अपने लिखित बयान में कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पूरे मामले की व्यापक पुनः जांच के बाद निर्णय लिया गया है और प्रतिवादीगण संख्या 3 के पक्ष में किया गया आवंटन जनहित में है।लिखित बयान के साथ, कैबिनेट उप-समिति द्वारा की गई सिफारिशों की एक प्रति रिकॉर्ड पर रखी गई है ताकि उनकी याचिका का समर्थन किया जा सके कि सरकार द्वारा रद्द करने के लिए लिया गया निर्णय याचिकाकर्ता के पक्ष में किया गया आवंटन बाहरी विचार पर आधारित नहीं है।उन्होंने इस तथ्य पर काफी जोर दिया है कि बिजली उत्पादन में कोई बड़ा नया निवेश नहीं करने के लिए सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय पर हरेडा द्वारा 4 मेगावाट क्षमता की एक छोटी परियोजना स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी के प्रस्तावों को आमंत्रित करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता था, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा आसानी से निष्पादित किया जा सकता था, जैसे कि प्रतिवादी संख्या 3।

(12) अपने उत्तर में, प्रतिवादी संख्या 3 ने इस तथ्य पर भी जोर दिया है कि दादुपुर

पनबिजली परियोजना बिजली उत्पादन के लिए एक बड़ी परियोजना नहीं है और इसके लिए बड़े निवेश की आवश्यकता नहीं है।

(13) प्रत्यर्थी संख्या 4 मेसर्स सोफिमट, फ्रांस ने बलियाला फॉल और गोगरीपुर स्थलों के आवंटन को सही ठहराने के लिए अलग से लिखित बयान दायर किया है।हालाँकि, हम उस उत्तर में दिए गए कथनों का विस्तृत संदर्भ देना आवश्यक नहीं समझते हैं क्योंकि दलीलों के दौरान, पक्षों के विद्वान वकील ने कहा कि मंत्रिमंडल उप-समिति द्वारा की गई सिफारिशों को देखते हुए इसके पक्ष में किए गए आवंटन को भी रद्द कर दिया गया है।

(14) संबंधित दलीलों पर ध्यान देने के बाद, हम इस सवाल पर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे कि क्या याचिकाकर्ता के पक्ष में दादुपुर स्थल के आवंटन को रद्द करने का सरकार का निर्णय याचिका में दिए गए आधारों पर रद्द करने के योग्य है।इस प्रश्न का निर्धारण प्रतिवादी संख्या 3 को स्थान के आवंटन की वैधता पर हमारे निर्णय से सीधे जुड़ा हुआ है और यदि यह माना जाता है कि सरकार के निर्णय का दूसरा भाग मनमानेपन या समानता के सिद्धांत के उल्लंघन के कारण दूषित है, तो याचिकाकर्ता के पक्ष में किए गए स्थान के आवंटन को रद्द करने को अवैध घोषित करना होगा।

(15) संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 में निहित समानता के सिद्धांत के विभिन्न आयाम हैं।अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा।या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों का समान संरक्षण।अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता प्रदान करता है।मोटे तौर पर, समान संरक्षण का अर्थ है समान परिस्थितियों में समान व्यवहार का अधिकार, दोनों प्रदत्त विशेषाधिकारों और अधिरोपित देनदारियों में श्रीकिशन *बनाम* राजस्थान *राज्य (1)।यह गारंटी* विशेषाधिकार देने के मामले में भी लागू होती है अर्थात किसी भी व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए लाइसेंस देना, सरकारी व्यवसाय से संबंधित अनुबंध में प्रवेश करने के लिए निविदाएं आमंत्रित करना,

(1) 1955 (2) एस सी आर 531.

या कोटा जारी करना, नौकरी देना *आदि। जे. रामाना* दयराम *शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा* प्राधिकरण (2) *और कुमारी श्रीलेखा* विद्यारथी *बनाम उत्तर प्रदेश* राज्य के मामलों में भी अदालतों ने यह भी माना है कि एक व्यक्ति और दूसरे के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए यदि कानून या कार्यकारी कार्रवाई के विषय के संबंध में उनकी स्थिति समान है।दूसरे शब्दों में, राज्य की कार्रवाई मनमाना नहीं होनी चाहिए, बल्कि किसी वैध सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए।न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त समानता खंड का एक अन्य पहलू यह है कि असमान लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि राज्य की कार्रवाई का उद्देश्य समाज में मौजूदा असमानताओं को दूर करना हो और सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को कुछ लाभ प्रदान करने का प्रयास किया जाए।

(16) उपरोक्त के प्रकाश में, यह देखा जाना चाहिए कि क्या प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना और दादुपुर स्थल का आवंटन समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है।"मान लीजिए, हरेडा द्वारा जारी विज्ञापन निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए था।इसलिए, प्रतिवादी संख्या 3, जो एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, प्रस्ताव प्रस्तुत करने का हकदार नहीं था।हालांकि, मामले का तथ्य यह है कि उक्त प्रतिवादी ने विचाराधीन साइट के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया और टीएसी ने इसे विज्ञापन के गुण-दोष पर पूरी तरह से ध्यान न देते हुए माना।टी. ए. सी. की रिपोर्ट की जांच करते हुए, एच. पी. सी. ने पाया कि प्रतिवादी संख्या 3 विचार के क्षेत्र में नहीं आता है और इसलिए, उसने याचिकाकर्ता को स्थान आवंटित करने की सिफारिश की।मंत्रिपरिषद ने एच. पी. सी. की सिफारिशों को मंजूरी दे दी जिससे याचिकाकर्ता को आशय पत्र जारी किया गया।हालाँकि, राज्य में राजनीतिक परिवर्तनों के तुरंत बाद, हरेडा के निदेशक ने एक नोट दर्ज करके निर्णय पर फिर से विचार करने के लिए आधार बनाया कि फाइल को मुख्यमंत्री के सामने रखा जा सकता है क्योंकि उन्होंने दादुपुर स्थल के आवंटन के संबंध में कुछ टिप्पणियां की थीं।मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल उप-समिति का गठन किया जिसने, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ता के पक्ष में किए गए स्थान को रद्द करके प्रतिवादी संख्या 3 को स्थान आवंटित करने की सिफारिश की।" मंत्रिमंडल उप-समिति (अनुलग्नक आर. 1/1) की कार्यवाही के कार्यवृत्त को नंगे पढ़ने से पता चलता है कि पिछली सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की समीक्षा करते समय, इसने सबसे महत्वपूर्ण कारक को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था, अर्थात्, हरेडा ने हरियाणा में नहर ड्रॉप साइटों पर लघु पनबिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए केवल निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन जारी किया था और प्रतिवादी संख्या 3 को इसके अनुसरण में प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था।मंत्रिमंडल उप-समिति द्वारा अनुलग्नक R.l/1 के पैराग्राफ 21 में किया गया अवलोकन कि "परियोजना
छोटे पनबिजली संयंत्रों की स्थापना के लिए स्वतंत्र बिजली उत्पादकों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए जारी किए गए विज्ञापन में भी इसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि इसे एच. पी. जी. सी. एल. द्वारा विभागीय रूप से लिया जा सकता था "यह दर्शाता है कि उपसमिति के सदस्य हरदा द्वारा विज्ञापित स्थलों के आवंटन के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रतिवादी संख्या 3 की अयोग्यता के प्रति सचेत थे। इसके बावजूद, उप-समिति ने याचिकाकर्ता के लिए प्रतिकूल

(2) A.I.R. 1979 S.C. 1628
(3) A.I.R. 1991 S.C. 537

सिफारिशें कीं, जिससे ज्ञापन अनुलग्नक पी. 12 जारी किया गया।

(17)हमारी राय में, स्थलों के आवंटन में भागीदारी के लिए पात्रता आयोग हरेडा द्वारा जारी विज्ञापन की सरल भाषा द्वारा निर्धारित किया गया था जो निजी क्षेत्र तक ही सीमित था और इसलिए, प्रतिवादी संख्या 3 दादुपुर स्थल के आवंटन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का हकदार नहीं था।यदि सरकार अनुबंध देने की प्रक्रिया में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी चाहती है, तो उसे हरेडा को विज्ञापन वापस लेने या कम से कम उसमें संशोधन करने का निर्देश देना चाहिए था ताकि प्रतिवादी संख्या 3 जैसी कंपनियों को प्रस्ताव प्रस्तुत करने में सक्षम बनाया जा सके।मान लीजिए कि ऐसा नहीं किया गया था और फिर भी सरकार ने एच. पी. सी. की सिफारिशों को मंजूरी देने के अपने पहले के फैसले को पलटते हुए, प्रतिवादी संख्या 3 को दादुपुर स्थल के आवंटन का निर्देश दिया, जिसके परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के सिद्धांत के असमान और परिणामी उल्लंघन को समान रूप से माना गया।

(18) विद्वत उप महाधिवक्ता और प्रत्यर्थी संख्या 3 का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने प्रस्तुत किया कि सरकार का संशोधित निर्णय जनहित में है और इसलिए, इस तथ्य के बावजूद कि विज्ञापन के संदर्भ में उक्त प्रत्यर्थी स्थल के आवंटन के लिए आवेदन करने का पात्र नहीं था, विवादित निर्णय अमान्य नहीं किया जा सकता है।हमने निवेदन पर गंभीरता से विचार किया है लेकिन विद्वान वकील से सहमत होने के लिए राजी नहीं हुए हैं।यह कानून का एक निश्चित प्रस्ताव है कि अपने आचरण का न्याय करने के लिए मानक निर्धारित करने के बाद, एक सार्वजनिक प्राधिकरण उक्त मानक से विचलित नहीं हो *सकता* है।विट्रेली *बनाम* सीटॉन (4) में Mr.JJusticeIFrankfurtercobserved8asIunder:

> "एक कार्यकारी एजेंसी को उन मानकों का सख्ती से पालन करना चाहिए जिनके द्वारा वह अपनी कार्रवाई का न्याय करने का दावा करती है। तदनुसार, यदि नौकरी से बर्खास्तगी एक परिभाषित प्रक्रिया पर आधारित है, भले ही ऐसी एजेंसी को बाध्य करने वाली आवश्यकताओं से परे उदारता हो, तो उस प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए। प्रशासनिक कानून का यह न्यायिक रूप से विकसित नियम अब दृढ़ता से स्थापित हो गया है और, यदि मैं जोड़ सकता हूं, तो यह सही है।जो प्रक्रियात्मक तलवार लेता है वह तलवार से नष्ट हो जाएगा।"

(19) अमरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य (5), *सुखदेव बनाम* भगतराम *(6) और रमण दयराम बनाम* भारतीय *अंतर्राष्ट्रीय* विमानपत्तन प्राधिकरण *(ऊपर) मामले* में *उच्चतम न्यायालय ने प्रस्ताव को मंजूरी* दी।रमन्ना के मामले *के तथ्यों* से पता चलता है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने बॉम्बे के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक द्वितीय श्रेणी के रेस्तरां और दो स्नैक बार के निर्माण और संचालन के लिए निविदाएं आमंत्रित की थीं।निविदा सूचना में निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार निविदाकर्ता को पंजीकृत द्वितीय श्रेणी का होटल व्यवसायी होना चाहिए, जिसे 3 साल की अवधि के लिए हवाई अड्डे पर द्वितीय श्रेणी का रेस्तरां और दो स्नैक बार लगाने और चलाने का कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए।जिस व्यक्ति को अनुबंध दिया गया था, वह अनुभव की शर्त को पूरा नहीं करता था।अपीलार्थी ने निजी प्रत्यर्थी के पक्ष में किए गए आवंटन को इस आधार पर चुनौती दी कि अयोग्य व्यक्ति का विचार समानता के सिद्धांत का

(4) (1959) 359 U.S. 535

उल्लंघन था।इस मुद्दे से निपटने के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय के उनके अधिपत्यों ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

"इसलिए, यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 14 के संवैधानिक अधिदेश और प्रशासनिक कानून के न्यायिक रूप से विकसित नियम दोनों को ध्यान में रखते हुए, प्रथम प्रतिवादी चौथे प्रतिवादी की निविदा स्वीकार करने में मनमाने ढंग से कार्य करने का हकदार नहीं था, लेकिन निविदा आमंत्रित करने वाले नोटिस के पैराग्राफ 1 में निर्धारित मानक या मानदंड के अनुरूप होने के लिए बाध्य था, जिसके लिए आवश्यक था कि केवल एक पंजीकृत आई. एन. डी. क्लास होटल या रेस्तरां चलाने वाला और कम से कम 5 साल का अनुभव रखने वाला व्यक्ति ही निविदा के लिए पात्र होना चाहिए।अपीलार्थी का यह तर्क नहीं था कि प्रथम प्रतिवादी द्वारा निर्धारित यह मानक या मानक भेदभावपूर्ण था, जिसका निविदाएं आमंत्रित करने के उद्देश्य से कोई न्यायसंगत या उचित संबंध नहीं था, अर्थात्, एक पर्याप्त अनुभवी व्यक्ति को अनुबंध प्रदान करना जो हवाई अड्डे पर एक आई. *एल. एन. डी. श्रेणी के रेस्तरां को कुशलता से चलाने में सक्षम होगा।मान लीजिए, मानक या मानक उचित और गैर-भेदभावपूर्ण था और, एक बार जब एक आई. एल. एन. डी. श्रेणी के रेस्तरां को चलाने के लिए ऐसा मानक या मानदंड निर्धारित किया जाना चाहिए, तो प्रथम प्रतिवादीगण इससे अलग होने और अनुबंध देने का हकदार नहीं था चौथे उत्तरदाता जो* मानक या मानदंड द्वारा निर्धारित पात्रता की शर्त को पूरा नहीं करते थे।यदि पात्रता की शर्त को पूरा करने वाले व्यक्ति से स्वीकार्य निविदा नहीं थी, तो पहला प्रतिवादी निविदाओं को अस्वीकार कर सकता था।

(5) A.I.R. 1975 S.C. 984
(6) A.I.R. 1975 S.C. 1331

और कम कठोर मानक या मानक के आधार पर नई निविदाएं दायर की, लेकिन यह अपने द्वारा निर्धारित मानक या मानक से अलग नहीं हो सका और चौथे प्रतिवादीगण की निविदा को मनमाने ढंग से स्वीकार *कर लिया।जब प्रथम प्रतिवादीगण ने चौथे उत्तरदाताओं की निविदा पर विचार किया, भले ही उनके पास आई. एल. एन. डी. श्रेणी का रेस्तरां या होटल चलाने का 5 साल का अनुभव नहीं था, तो उसने अनुबंध के लिए निविदा के मामले में अन्य लोगों को समान अवसर देने से इनकार कर दिया।कई अन्य व्यक्ति भी हो सकते हैं, वास्तव में अपीलकर्ता ने खुद एक ऐसा व्यक्ति होने का दावा किया था, जिसे आईएलएनडी श्रेणी का रेस्तरां चलाने का 5 साल का अनुभव नहीं था, लेकिन जो अन्यथा ऐसा रेस्तरां चलाने के लिए सक्षम थे और उन्होंने अनुबंध प्राप्त करने के लिए चौथे प्रतिवादीगण के साथ प्रतिस्पर्धा भी की होगी, लेकिन उन्हें पांच साल के अनुभव की आवश्यकता वाली पात्रता की शर्त के कारण ऐसा करने से रोक दिया गया था।चौथे प्रतिवादीगण की निविदा स्वीकार करने में प्रथम उत्तरदाता की कार्रवाई, भले ही वे पात्रता की निर्धारित शर्त को पूरा नहीं करते थे, स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण थी, क्योंकि इसमें अन्य व्यक्तियों को भी* अनुबंध के लिए निविदा देने से बाहर रखा गया था और यह मनमाना और बिना कारण भी था।चौथे प्रत्यर्थी की निविदा की स्वीकृति, उन परिस्थितियों में अमान्य थी क्योंकि यह संविधान के समानता खंड के साथ-साथ प्रशासनिक कानून के नियम का भी उल्लंघन करती है जो मनमानी कार्रवाई को रोकती है।”

(20) इस मामले के तथ्यों के साथ रमण के मामले *(उपरोक्त)* के निर्णय के अनुपात को लागू करके, हम मानते हैं कि मिनी हाइड्रो प्लांट की स्थापना के लिए प्रतिवादी संख्या 3 को दादुपुर स्थल का आवंटन संविधान के समानता खंड का उल्लंघन है।

(21) हमारा आगे यह विचार है कि सार्वजनिक हित बेहतर हो सकता था यदि सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए प्रस्तावों को आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन को मंजूरी देने से पहले, इस मुद्दे की अधिक व्यापक रूप से जांच की होती और अनुबंध देने की प्रक्रिया में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दी होती, लेकिन केवल निजी क्षेत्र से प्रस्ताव आमंत्रित करने और अनुमोदित करने के बाद।याचिकाकर्ता को स्थल के आवंटन के लिए एच. पी. सी. द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार, वह जनहित के नाम पर निर्णय की मनमाने ढंग से समीक्षा नहीं कर सकती थी।

(22) याचिकाकर्ता की यह दलील कि याचिकाकर्ता द्वारा डी. पी. आर. प्रस्तुत करने के बाद राज्य सरकार द्वारा की गई पूरी कवायद पिछली सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को रद्द करने की दिशा में निर्देशित किया गया था, काफी प्रशंसनीय प्रतीत होती है।राज्य में राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तन और याचिकाकर्ता के भाग्य में परिवर्तन के बीच समय की निकटता से यह धारणा बनती है कि उसके पक्ष में किये गये आवंटन को सार्वजनिक हित के अलावा अन्य कारणों से रद्द कर दिया गया था जैसा कि आधिकारिक प्रतिवादीगण द्वारा किया जाना चाहिए।एच. पी. सी. ने फरवरी, 1999 में याचिकाकर्ता के पक्ष में स्थल के आवंटन के लिए सिफारिशें की थीं और 16 अप्रैल, 1999 को राज्य सरकार ने इसे मंजूरी देने का एक सचेत निर्णय लिया था।अगले साढ़े चार महीनों तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी जो पिछले निर्णय की समीक्षा को उचित

(2) A.I.R. 1979 S.C. 1628
(3) A.I.R. 1991 S.C. 537

ठहरा सके।बल्कि, इस अवधि के दौरान निदेशक, हरेडा ने याचिकाकर्ता के पक्ष में आशय पत्र जारी किया, जिसने 200 प्रति मेगावाट (कुल रु। 8 लाख), त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और अगले डेढ़ माह के भीतर डी. पी. आर. प्रस्तुत किया।हालाँकि, बिना किसी ठोस कारण के, सरकार ने 16 अप्रैल, 1999 को लिए गए निर्णय की समीक्षा करने का निर्णय लिया और अंततः जनहित के नाम पर आवंटन को रद्द कर दिया।

(23) हमारा यह भी विचार है कि याचिकाकर्ता के पक्ष में किए गए आवंटन को रद्द करने के लिए सरकार द्वारा लिया गया निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर रद्द किया जा सकता है।यह सच है कि हरेडा द्वारा जारी आशय पत्र ने याचिकाकर्ता के पक्ष में अनुबंध दिए जाने का एक निहित अधिकार नहीं बनाया जो कि डी. पी. आर. की स्वीकृति पर निर्भर करता है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आशय पत्र जारी होने के बाद याचिकाकर्ता ने अनुबंध देने के लिए विभिन्न कदम उठाए थे और काफी राशि खर्च की थी और आधिकारिक प्रतिवादीगण को डी. पी. आर. में कुछ भी गलत नहीं मिला था, एक वैध उम्मीद पैदा की कि किसी भी प्रतिकूल कारक के अभाव में, अनुबंध उसे दिया जाएगा।इसलिए, स्थल के आवंटन को रद्द करने का आदेश देने से पहले, राज्य सरकार याचिकाकर्ता को नोटिस और सुनवाई का अवसर देने के लिए बाध्य थी, जो यह दिखा सकता था कि प्रतिवादी संख्या 3 दादुपुर स्थल के आवंटन में भाग लेने के लिए योग्य नहीं था और एचपीसी द्वारा लिया गया निर्णय सही था।हालाँकि, प्राकृतिक न्याय की मूल बातों का पालन करने में सरकार की विफलता के कारण, वह उस अवसर का लाभ नहीं उठा सकी।इस प्रकार, इस निष्कर्ष से बचने की कोई गुंजाइश नहीं है कि विवादित निर्णय ऑडी अल्टरम पार्टेम के नियम का *उल्लंघन है* और इसे उस आधार पर रद्द किया जा सकता है।

(24) उपरोक्त निष्कर्षों को देखते हुए, हम याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों से निपटना आवश्यक नहीं समझते हैं।

(25) समापन से पहले, हम उल्लेख कर सकते हैं कि बहस के दौरान, हमने प्रतिवादी संख्या 3 के वकील से पूछा था कि उनके मुवक्किल ने संयंत्र स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं।इसके जवाब में उन्होंने कहा कि

उन्होंने कहा कि उस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है और आज तक इस स्थल पर चारदीवारी के निर्माण में केवल दो से तीन लाख रुपये खर्च किए गए हैं।

(26) अन्त में रिट याचिका की स्वीकृति दी गयी एवम याचिकाकर्ता के पक्ष में दादुपुर स्थल के आवंटन को रद्द करने के सरकार के निर्णय को अवैध घोषित किया जाता है और ज्ञापन अनुलग्नक पी. 12 को रद्द कर दिया जाता है।

24790 एच.सी.-सरकार। प्रेस, यू. टी., सीएच. डी.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वियन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

हरिकिशन
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

गुरुग्राम हरियाणा